छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय कार्य-बल की अंतरिम रिपोर्ट

शासन / न्यायपालिका / शिक्षा | समाचार संदर्भ: राष्ट्रीय कार्य-बल (NTF) की प्रगति पर PIB विज्ञप्ति, 30 जून 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

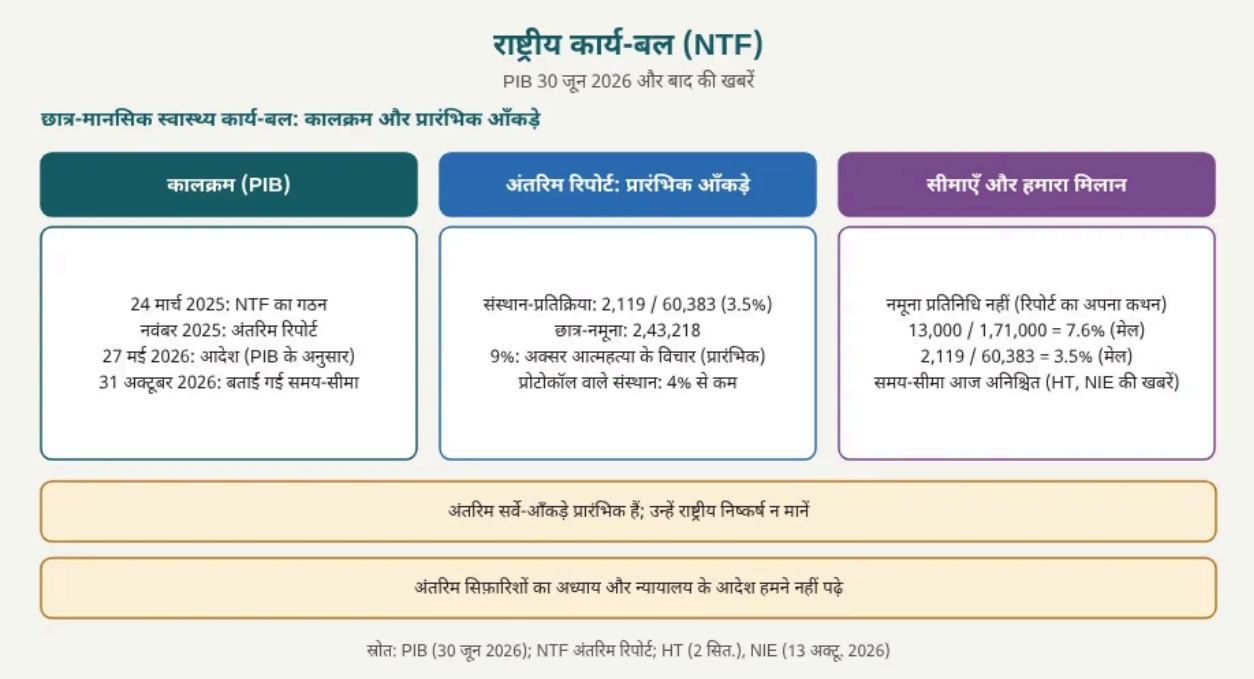
सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को अमित कुमार बनाम भारत संघ (आपराधिक अपील संख्या 1425/2025) के निर्णय में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या-रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य-बल (NTF) बनाया। NTF की अंतरिम रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के अनुसार यह मामला आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों की आत्महत्या और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने से उठा था। इसी रिपोर्ट की प्रस्तावना के अनुसार न्यायालय ने सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (25 जुलाई 2025) में कहा कि मानसिक कल्याण जीवन के अधिकार से अलग नहीं है।

खबरों में क्यों

PIB की 30 जून 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार NTF ने मई 2025 से 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र-दौरे और 25 हितधारक-परामर्श किए हैं। 27 मई 2026 के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया। 6 फ़रवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रो. टी.सी.ए. अनंत को सर्वेक्षण-आँकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए तकनीकी सलाहकार बनाया गया।

मुख्य अवधारणा: कार्य-बल, अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट

NTF न्यायालय द्वारा बनाया गया विशेषज्ञ निकाय है, कोई कानून या नियम नहीं। PIB के अनुसार उसके तीन काम हैं: आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान, मौजूदा कानूनों, नीतियों और संस्थागत ढाँचों का विश्लेषण और सुधारों के सुझाव। अंतरिम रिपोर्ट (नवंबर 2025) की सिफ़ारिशें और अंतिम रिपोर्ट अलग चरण हैं; अंतिम रिपोर्ट की तारीख़ अभी आगे है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

कालक्रम (PIB, 30 जून 2026)	**24 मार्च 2025: NTF का गठन। नवंबर 2025: अंतरिम रिपोर्ट। जुलाई 2025 और मई 2026: स्थिति रिपोर्टें। 6 फ़रवरी 2026: तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का आदेश। 27 मई 2026: अंतिम रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय। जनवरी 2026 से अतिरिक्त परामर्श: विकलांगता, जातिगत भेदभाव, लिंग, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र, आत्महत्या का अपराधमुक्तीकरण और विधि-छात्र।**
अंतरिम रिपोर्ट के प्रारंभिक सर्वे-आँकड़े (NTF)	रिपोर्ट के अनुसार 8 अगस्त 2025 को शुरू वेबसाइट से पाँच समूहों के सर्वे हुए। 19 सितंबर 2025 तक 60,383 संस्थानों में से 2,119 (3.5 प्रतिशत) ने उत्तर दिया। छात्र-नमूना 2,43,218 का था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के छात्र 67 प्रतिशत थे। लगभग 34 प्रतिशत ने कुछ हद तक परिसर में “बाहरी” महसूस किया, 15 प्रतिशत ने पिछले छह माह में कई सप्ताह तक गंभीर तनाव या उदासी बताई और 9 प्रतिशत ने पिछले वर्ष में अक्सर या बहुत अक्सर आत्महत्या के विचार बताए।
संस्थागत व्यवस्था (NTF के प्रारंभिक आँकड़े)	रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत से थोड़े कम संस्थानों में एक पूर्णकालिक मानसिक-स्वास्थ्य सेवा-प्रदाता था और 70 प्रतिशत से अधिक में कोई पूर्णकालिक प्रदाता नहीं था। 4 प्रतिशत से कम में आत्महत्या-जोखिम प्रबंधन का प्रोटोकॉल था और 45 प्रतिशत ने पिछले 18 महीनों में संकाय-संवेदीकरण कार्यशाला नहीं की थी।
राष्ट्रीय आँकड़े (NTF की समीक्षा, 2022)	रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल आत्महत्याएँ लगभग 1,71,000 थीं, जिनमें छात्र लगभग 13,000 (7.6 प्रतिशत) थे। रिपोर्ट SRS, NCRB और मीडिया रिपोर्टों, तीनों को वास्तविक संख्या से कम आँकने वाला बताती है।

आँकड़ों की जाँच: कौन-से आँकड़े कितने पक्के हैं

नमूना प्रतिनिधि नहीं: अंतरिम रिपोर्ट खुद कहती है कि सर्वे का नमूना प्रतिनिधि नहीं है: संस्थानों में प्रतिक्रिया-दर 3.5 प्रतिशत थी, दस राज्यों से दस से कम उत्तर आए और छात्र-नमूना तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक की ओर झुका था। इसलिए 9 प्रतिशत जैसे

आँकड़े “प्रारंभिक और अस्थायी” हैं और उन्हें देश के सभी छात्रों पर नहीं लगाया जा सकता।

क्षेत्र-दौरों की गिनती: PIB (जून 2026) 10 राज्यों के 30 संस्थानों के दौरे बताता है। अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में 19 स्थलों पर 30 बैठकें लिखी हैं। दोनों की कटऑफ़-तारीख़ और इकाई अलग हैं (संस्थान बनाम बैठकें), इसलिए हम इन्हें एक-दूसरे का विरोध नहीं मानते।

हमारी जाँच: हमारी गणना: 13,000 / 1,71,000 लगभग 7.6 प्रतिशत है, जो रिपोर्ट से मेल खाता है। 2,119 / 60,383 लगभग 3.5 प्रतिशत है, जो भी मेल खाता है।

अंतिम रिपोर्ट की स्थिति: PIB (30 जून 2026) के अनुसार 27 मई 2026 के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया। मूल आदेश हम नहीं पा सके; यह PIB का वर्णन है। हिंदुस्तान टाइम्स (2 सितंबर 2026) के अनुसार NTF ने स्थिति-रिपोर्ट में कहा कि रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक पूरी होगी, जबकि अदालत ने कहा कि वह नवंबर तक उपलब्ध होगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस (13 अक्टूबर 2026) के अनुसार पैनल रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है और एक सदस्य के हवाले से और विस्तार माँग सकता है। 18 अक्टूबर 2026 को NTF की “प्रेस विज्ञप्ति और घोषणाएँ” व “दस्तावेज़” सूचियों में अगस्त-सितंबर 2026 के पत्र और समन्वयक-परिवर्तन की सूचना दिखी, पर अंतिम रिपोर्ट नहीं; पत्र हमने नहीं खोले और रिपोर्ट-पृष्ठ का पता आधिकारिक साइट पर नहीं मिला। इसलिए आज की स्थिति पक्की नहीं कही जा सकती: समय-सीमा 31 अक्टूबर बताई गई है, पर नवंबर और विस्तार की बातें भी छपी हैं।

महत्व: न्यायालय-निर्देशित नीति-निर्माण

अदालत से नीति तक: NTF का कार्य दिखाता है कि जब कानूनी ढाँचा अधूरा हो तो सर्वोच्च न्यायालय विशेषज्ञ निकाय बनाकर नीति-सुझाव ले सकता है। अंतरिम रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के अनुसार भारत में कानून ने आत्महत्या को सीधे केवल अपराधमुक्त किया है और राष्ट्रीय आत्महत्या-रोकथाम रणनीति (2022) के साथ कार्यान्वयन-ढाँचा नहीं है; यह NTF का मत है।

कारण-विश्लेषण का दायरा: रिपोर्ट के अनुसार NTF केवल मानसिक-स्वास्थ्य या जन-स्वास्थ्य दृष्टि तक सीमित न रहकर सामाजिक निर्धारकों, भेदभाव, आर्थिक कारकों और संस्थागत ज़िम्मेदारी को भी देखना चाहता है।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

आँकड़ों की गुणवत्ता: रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के तीनों सार्वजनिक आँकड़े-स्रोत वास्तविक संख्या से कम आँकते हैं और संस्थानों में आँकड़ों का दस्तावेज़ीकरण असमान है।

संवेदनशील विषय: यह लेख नीति और आँकड़ों पर है। किसी छात्र या संस्थान के विशिष्ट मामले, या आत्महत्या के तरीके, इसमें नहीं हैं। अगर आप या कोई परिचित संकट में हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या स्थानीय स्वास्थ्य सेवा से तुरंत संपर्क करें।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की 30 जून 2026 की विज्ञप्ति पूरी पढ़ी। अंतरिम रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश और प्रस्तावना पढ़ी; वेब-प्रति में हमें उसकी सिफ़ारिशों वाला अध्याय (पृष्ठ 142) नहीं मिला, इसलिए हम रिपोर्ट की अंतरिम सिफ़ारिशों पर कोई दावा नहीं करते। स्थिति-रिपोर्टें (जुलाई 2025, मई 2026), सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मूल पाठ और NTF की घोषणाओं के पत्र हमने नहीं पढ़े।

आगे की राह

इसे 30 जून 2026 की PIB स्थिति और NTF की अंतरिम रिपोर्ट के प्रारंभिक आँकड़ों के रूप में पढ़ें। अंतिम रिपोर्ट और न्यायालय का अगला निर्देश आने पर आकलन बदलेगा।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) न्यायालय का निर्णय/आदेश और NTF की रिपोर्ट; (2) अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट; (3) प्रारंभिक, अप्रतिनिधि सर्वे-आँकड़े और राष्ट्रीय प्रतिनिधि आँकड़े; (4) PIB/NTF के आँकड़े और हमारी गणनाएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका की भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य और कमज़ोर वर्गों से जुड़े मुद्दे; GS-IV: संस्थागत उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य-बल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संस्थागत और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रोकथाम-ढाँचे के आवश्यक तत्त्व बताइए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: न्यायालय का हस्तक्षेप और NTF।

मुख्य भाग में: कार्य-पद्धति: सर्वे, दौरे, परामर्श; प्रारंभिक निष्कर्ष और उनकी सीमाएँ; संस्थागत और सामाजिक कारक; ढाँचे के तत्त्व: सेवाएँ, प्रोटोकॉल, शिकायत-निवारण, आँकड़े, जवाबदेही।

निष्कर्ष में: NTF की प्रारंभिक सिफ़ारिशों और सर्वे की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संस्थागत सेवाओं, शिकायत-निवारण और जवाबदेही को जोड़ें; अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट या आत्महत्या-रोकथाम में सिद्ध सफलता न मानें।

स्रोत

- PIB, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य-बल की प्रगति (30 जून 2026)
- NTF, अंतरिम रिपोर्ट (नवंबर 2025; NTF की वेबसाइट पर प्रकाशित PDF, कार्यकारी सारांश और अध्याय 1 तक पढ़ी गई वेब-प्रति)
- NTF वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति और घोषणाएँ (18 अक्टूबर 2026 को देखी गई सूची)
- हिंदुस्तान टाइम्स, 2 सितंबर 2026 (समाचार; पूरा पढ़ा)
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 13 अक्टूबर 2026 (समाचार; पूरा पढ़ा)

स्रोत: PIB विज्ञप्ति पूरी पढ़ी गई। अंतरिम रिपोर्ट की वेब-प्रति में केवल प्रस्तावना, कार्यकारी सारांश और अध्याय 1 का आरंभ उपलब्ध था; सिफ़ारिशें नहीं पढ़ी गईं।

याद रखें: PIB (30 जून 2026) के अनुसार अदालत ने अंतिम रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया था; बाद की खबरों में नवंबर और विस्तार का ज़िक्र है, इसलिए वर्तमान समय-सीमा अनिश्चित है। अंतरिम रिपोर्ट के सर्वे-आँकड़े प्रारंभिक और अप्रतिनिधि हैं (संस्थान-प्रतिक्रिया 3.5 प्रतिशत), इसलिए उन्हें राष्ट्रीय निष्कर्ष की तरह न पढ़ें।